फर्द अहकाम

(नियम 26)

..व प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/225 बअनवान किशनसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

.. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुण्डारा के खाता संख्या 263 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (पीठासील लोक अदालत/कैंप मुण्डारा) के आदेश कमांक 460–461 दिनांक 19.05.2015 के खाता दुरस्ती आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 1713 दर्ज कर चम्पालाल पुत्र भगराज के स्थान पर डूंगरसिंह पुत्र भगाजी जाति राव दर्ज किया जो वर्तमान में डूंगरसिंह पुत्र भगाजी के वारिसों के नाम दर्ज है। चम्पालाल एवं डूंगरसिंह एक ही व्यक्ति है तथा चम्पालाल पुत्र भगराज के स्थान पर डूंगरसिंह पुत्र भगाजी करने की अनुशंषा की है। तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1245 रकबा 0.0200 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम **चम्पालाल पुत्र भगाजी** के स्थान पर **डूंगरसिंह उर्फ चम्पालाल पुत्र भगाजी** शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का मुण्डारा आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner